कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद कानपुर देहात।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक 382/उपखनिज / ई–निविदा(अल्प0)–का0दे0 / 2024–25 दिनांक 06 नवम्बर,2024

ई–निविदा आमंत्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कानपुर देहात में नदी तल में उपलब्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार साधारण बालू के रिक्त खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–781 / 86–2022–14(सा0) / 2022 दिनांक 23.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार 06 माह की अल्प अवधि के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक– 11.12.2024 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 17.12.2024 के सायं 05:00 बजे (05 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा पोर्टल etender.up.nic.inपर ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण–

क.सं.	तहसील	ग्राम एवं एरिया कोड	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड / हे0 में)	जियोकोर्डिनेट्स	उपखनिज का नाम	नियमावली 2021 के अनुसूची –1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घन मीटर)	खनन योग्य निर्धारित / आंकलित उपखनिज की मात्रा (घन मीटर)	आधार मूल्य (रायल्टी दर× निर्धारित / आंकलित मात्रा) रूपये में	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत) रूपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भोगनीपुर	खरका के–1 1495590101	के–1 गाटा सं0364मि0 365मि0366 मि0367मि0 390मि0	17.56हे0	(A) 26°12'49.42''N 79°39'6.38''E (B)26°12'38.03''N 79°39'0.59''E (C)26°12'37.32''N79°39'21.81''E (D) 26°12'45.26''N79°39'25.10''E	साधारण बालू	65.00	131700	85,60,500.00	42,80,250.00
2	भोगनीपुर	खरका के–2 1495590102	के–2 गाटा सं0 389मि0, 390मि0	18.33हे0	(A) 26°12' 45.72''N 79°39' 25.31''E (B)26°12' 39.29''N 79°39' 52.99''E (C)26°12' 33.10''N79°39' 50.34''E (D) 26°12' 38.00''N79°39' 22.06''E	साधारण बालू	65.00	137475	89,35,875.00	44,67,938.00
3	सिकन्दरा	निबर्री कछार 1498840101	गाटा सं0 15मि0	16.58	(A) 26°12' 57.47''N 79°38' 50.55''E (B)26°12' 50.57''N 79°39' 04.00''E (C)26°12' 36.93''N79°39' 03.36''E (D) 26°12' 42.94''N79°38' 50.13''E	साधारण बालू	65.00	99480	64,66,200.00	32,33,100.00

1. अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोडकर) अधिकतम 06 (छः) माह के लिये होगी।
2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।
3. किसी क्षेत्र की ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहॉ वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
4. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा, गुणवत्ता एवं खनन स्थल के लिए पहुॅच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेषन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–

Scanned with OKEN Scanner

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टीफाईंग एजेन्सी से टाइप–3 का डिजीटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etender.up.nic.inपर ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etender.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेगें।

(ग) विडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकतें है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजीटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etender.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित/अभिलेख प्रमाण–पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगाः–

<u>प्रारूप–2 की सूचनायें :–</u>

(क) विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।
(ख) विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक।
(ग) निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थाई और वर्तमान), ई–मेल व मो0 न0।
(घ) उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
(ड़) अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू–2000/–का चालान संख्या व दिनांक।
(च) आधारकार्ड या अन्य पहचान पत्र का कमांक।
(छ) पैन कार्ड का कमांक।
(ज) चरित्र प्रमाण–पत्र की सख्या व दिनांक तथा जनपद जहॉ से जारी किया गया हो।
(झ) कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

<u>स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण–पत्र :–</u>

(क) ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू–2000/–अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
(ख) आधारकार्ड या अन्य पहचान पत्र का कमांक।
(ग) पैन कार्ड का कमांक।
(घ) जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण–पत्र, परन्तु जहॉ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहॉ इस आशय का शपथ–पत्र।
(ड़) सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थाई रूप से निवास करता हो से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण–पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।
(च) जिसने हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो प्रस्तुत न किया हो।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पॉच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में दिनांक 18.12.2024 को अपरान्ह 3:00 बजे जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति में दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है। तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का कमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाइल नं0 लिखना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित तिथि 18.12.2024 के अपरान्ह 02 बजे तक खनिज कार्यालय, कानपुर देहात में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा, उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति खनिज कार्यालय, कानपुर देहात में प्रस्तुत किया जायेगा, अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

11. सफल निविदाकर्ता को छोडकर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा ।

12. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के 02 कार्य दिवसों के अन्दर जमा करना पडेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा–पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नही है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा पत्र धारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

15. अनुज्ञा पत्र में विनिदृष्टि अवधि की समाप्ति दिनांक तक या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन खनन सक्रियाएँ सम्पादित करेगा।

17. अनुज्ञा पत्र धारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियोकोर्डिनेट भी इंगित किया जायेगा तथा नियम–36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा।

18. चयनित अनुज्ञा पत्र धारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर अनुमोदित खनन योजना, माइन क्लोजर प्लान एवं पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।

19. अनुज्ञा पत्र धारक उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी मार्ग पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार पी0टी0जेड0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। अनुज्ञा पत्र धारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिसमें सम्बन्धित खनन क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बारकोड का डाटा पढने एवं सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। अनुज्ञा पत्र धारक उक्त पी0टी0जेड0 कैमरा एवं आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा मॉगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।

20. अनुज्ञापत्र धारक 03 मीटर गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन सक्रिया नहीं करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

21. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।
22. नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
23. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहॉ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहॉ खनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
24. यदि अनुज्ञापत्र धारक द्वारा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 के नियमों अथवा अनुज्ञापत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञापत्र धारक को अपना पक्ष रखने का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है।
25. नियमों अथवा शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेंदारी अनुज्ञापत्र धारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञापत्र धारक द्वारा किया जायेगा।
26. मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित आधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश,उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(आलोक सिंह)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन,लखनऊ, उ0प्र0।
3– आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4– प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, भूतत्व एवं खनिकर्म,उ0प्र0।
5– प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, कानपुर देहात।
8– समस्त उप जिलाधिकारी, कानपुर देहात को तहसील के सूचना–पट पर चस्पा करने हेतु।
9– नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, कानपुर देहात को सूचना–पट पर चस्पा करने हेतु।

6/11/21

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

Scanned with OKEN Scanner

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कटिंग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई–मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम– ड़. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या– च. क्षेत्रफल(एकड़ में)–	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 50–प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि –––– बैंक का नाम व शाखा –––– ड्राफ्ट का नम्बर ––––

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांकः–

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by SHALINI DEVI
Date: 2024.11.19 17:02:44 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner